

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - पुराना 96/2014 नया 150/2018(2018/00292)

अनवान : -

1. किरसन पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।



-वादीगण

बनाम


1. लादूराम पुत्र मोमनराम (फौत)जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1क. लिछिमा पत्नी लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ख. बनवारी पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ग. जगतपाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1घ. सिलोचना पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ङ. गायत्री पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र मोमन जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. गणपत्र पुत्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तक्सीम  
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण प्रथम वादीगण अधिवक्ता  
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादीगण अधिवक्ता

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 4 की 1.012 हैक्टेयर, किला न0 5 ता 8 की 1.012 हैक्टेयर, किला न0 9 ता 12 की 1.012 हैक्टेयर, किला न0 13 ता 18 की 1.518 हैक्टेयर, किला न0 19 ता 23 की 1.265, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न0 2 ता 25 कर 6.072 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 19 के किला न0 6, 7 की 0.506 हैक्टेयर, किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टेयर, किला न0 24. 25 की 0.506 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 13.915 हैक्टेयर जिसमें नहरी 11.371 हैक्टेयर बरानी 2.264 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता 0.052 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला 0.228 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि मुशतर्का खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी किरसन व देवीलाल का बहिस्सा 255 हिस्सा, प्रतिवादी लिछिमा, बनवारी, जगतपाल, सिलोचना, गायत्री का संयुक्त रूप से 255 हिस्सा, मूलाराम उर्फ मूलचन्द व गणपत का बहिस्सा 590 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत, सीव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बाबत अकसर तनाजा होते रहते हैं एवं रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्म के अनुसार खाता तकसीम किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। लूदराम के फौत होने पर उनके वारिसों को पक्षकारान बनाये गये। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण किरसन व देवीलाल तथा प्रतिवादीगण लिछीमा, बनवारी, जगतपाल, सिलोचना, गायत्री, मूलाराम उर्फ मूलचन्द व गणपत ने अपना आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक बाद शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनाम पेश होने के उपरान्त वादी या प्रतिवादी पक्षकारान के द्वारा मुताबिक राजीनामा दिनांक 22.07.2021 के अनुसार वाद भूमि का खाता तकसीम कर पक्षकारान के नाम अलग-अलग खाते कायम किये जाकर उनका माल व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

साक्ष्यवादी में वादी किरसन पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। साक्ष्यवादी में नजरी नक्शा चक 8 एनटीआर प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 8 एनटीआर सम्मत 2069-72 खाता संख्या 09/04 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सुनी जाने के उपरान्त दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन राजीनामा दिनांक 22.07.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है।

किरसन व देवीलाल - रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्मत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 4, 7, 14, 17 में 0.04743 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 5, 6, 15, 16 की 1.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 2, 9, 11, 20, 21 की 1.265 हेक्टेयर, किला न० 3 व 8 की 0.06325 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, किला न० 10 में 0.06325 हैक्टेयर पूर्वी पासा, किला न० 12, 19, 22 में 0.15602 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 19 के किला न० 15, 16, 25 की 0.05271 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा इस प्रकार कुल 3.28266 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि

अध्यायधिकारी (राज्य),  
भारत (जिला-हनुमानगढ़)

लिछीमा, बनवारी, जगतपाल, सिलोचना, गायत्री- रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्मत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 3,8,13, 18, 23 में 0.07589 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 4,7, 14, 17 में 0.20557 हैक्टेयर

प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 10 में 0.18975 हैक्टेयर पश्चिमी पासा, मु० न० 19 के किला नव 6, 7, 14, 17, 24 की 1.265 हैक्टेयर, किला न० 15, 16, 25 में 0.20029 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 3.25735 हैक्टेयर नहरी बारानी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि


मूलाराम उर्फ मूलचन्द – रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 हैक्टेयर, किला न० 2, 9, 12, 19, 22 में 0.08855 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 3, 8 में 0.18975 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 4, 7 में 0.15812 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, किला न० 12, 19, 22 में 0.09702 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 13, 18, 23 की कुल 0.759 हैक्टेयर, किला न० 14, 17, 24 की 0.078 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 3.68755 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि

गणपत – रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 2, 9, 12, 19, 22 में 0.16445 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 3, 8, 13, 18, 23 में 0.17711 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 4, 7 में 0.09488 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 14, 17, 24 में 0.175 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.68756 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



  
(शकुंतला चौधरी)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - पुराना 96/2014 नया 150/2018(2018/00292)

अनवान : -

1. किरसन पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

-वादीगण


बनाम

1. लादूराम पुत्र मोमनराम (फौत)जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1क. लिछिमा पत्नी लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ख. बनवारी पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ग. जगतपाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1घ. सिलोचना पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- 1ङ. गायत्री पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र मोमन जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. गणपत्र पुत्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि

किरसन व देवीलाल - रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 4, 7, 14, 17 में 0.04743 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 5, 6, 15, 16 की 1.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 2, 9, 11, 20, 21 की 1.265 हेक्टेयर, किला न० 3 व 8 की 0.06325 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, किला न० 10 में 0.06325 हैक्टेयर पूर्वी पासा, किला न० 12, 19, 22 में 0.15602 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 19 के किला न० 15, 16, 25 की 0.05271 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा इस प्रकार कुल 3.28266 हैक्टेयर नहरी बांरानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

लिछिमा, बनवारी, जगतपाल, सिलोचना, गायत्री- रोही मौजा चक 8 एनटीआर सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 09/04 के मु० न० 17 के किला न० 3,8,13, 18, 23 में 0.07589 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पूर्वी पासा, किला न० 4,7, 14, 17 में 0.20557 हैक्टेयर प्रत्येक किला में पश्चिमी पासा, मुरब्बा नम्बर 18 के किला न० 10 में 0.18975 हैक्टेयर पश्चिमी पासा, मु० न० 19 के किला नव 6, 7, 14, 17, 24 की 1.265 हैक्टेयर, किला न०

